[भारत के राजपत्र भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, तारीख 1, 2009

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग में सहायक सुरक्षा अधिकारी (क) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा सहायक सुरक्षा अधिकारी (क) भर्ती नियम 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।
 - 3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पद हेतु भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा संबंधित अन्य विषय उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

- निरर्हताएं ऐसा कोई व्यक्ति,-
- (क) जिसने जीवित पति या पत्नी के रहते हुए विवाह किया हो या विवाह के लिए अनुबंध किया हो, या
- (ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह किया हो या विवाह के लिए अनुबंध किया हो,

उक्त पद हेतु नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष हेतु लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं जो किसी व्यक्ति को उसके संबंध में इस नियम को लागू करने से छूट प्रदान करते हैं।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह व्यक्तियों के किसी समूह या कोटि के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान को इस संबंध में आदेश द्वारा एवं लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए, शिथिल कर सकती है।
- 6. व्यावृति इन नियमों की कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य विशेष कोटियों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित आरक्षणों, आयु सीमा के शिथिलीकरण एवं अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है
				या अचयन पद ?
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सहायक सुरक्षा	163*	सामान्य केन्द्रीय	₹. 9300-	लागू नहीं होता
अधिकारी (क)	(2009)	सेवा समूह "ग"	34800+	
	(*कार्यभार के	अराजपत्रित	श्रेणी वेतन	
	आघार	(अननुसचिवीय)	रु. 4200	
	परिवर्तन किया जा	•		
	सकता है।)			

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली,	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
1972 के नियम 30 के अधीन परिवर्धित सेवा वर्ष	
का लाभ अनुज्ञेय है ?	
(6)	(7)
लागू नहीं होता	निर्णायक तारीख तक 27 वर्ष ।
	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के
	अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए
	35 वर्ष तक शिथिलनीय।
	टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे
	भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप
	में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई
	अंतिम तारीख होगी ।
	टिप्पण 2: रोजगार केन्द्रों के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वही होगी जिस तारीख तक रोजगार केन्द्रों से नाम मांगे गये हैं।
	टिप्पण 3: भूतपूर्व सैनिक एवं भूतपूर्व सिपाही सशस्त्र बलों या पुलिस से कार्यमुक्त या सेवा निवृत्त होने के केवल 3 वर्षों के भीतर आवेदन करने के पात्र होंगे।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं,

(8)

क) अईताएं :

सीधी भर्ती :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक

भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व पुलिस एवं भूतपूर्व केन्द्रीय अर्ध सैनिक कर्मचारी

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य

अनुभव :

कनिष्ठ कमीशन आफिसर या समतुल्य से नीचे का न हो या नॉन कमीशन आफिसर या समतुल्य के रूप में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त् हो

ख) न्यूनतम ऊंचाई:

167 सेंमी.

ग) सीना :

80 से 85 सेंमी. (सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों एवं पहाड़ी व्यक्तियों के लिए शिथिलनीय,

1. चुने गये उम्मीदवारों को गठित बोर्ड के अधीन निम्न रूप में शारीरिक जांच में उत्तीर्ण होना होगा:

(क) शारीरिक क्षमता जांच

- (i). 1.6 किलोमीटर की दौड़
- 6 मिनट 30 सेकेंड

(ii) लॉंग जम्प

- 3.65 मीटर 3 बार में

(iii)

आयु वर्ग	संख्या
30 वर्षो तक	08 से 09
30 से 40 वर्ष	05 से 06
40 से 45 वर्ष	16 से 17
45 वर्ष से ऊपर	12 से 13
30 वर्षो तक	20 से 24
40 से 45 वर्ष	15 से 19
45 वर्ष से ऊपर	10 से 14
	30 वर्षों तक 30 से 40 वर्ष 40 से 45 वर्ष 45 वर्ष से ऊपर 30 वर्षों तक 40 से 45 वर्ष

(ख) अभ्यर्थी, जो शारीरिक जांच में योग्य पाये जाते हैं उन्हें 75 अंक की एक लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी जिसका समय 90 मिनट का होगा।

(ক)	अपठित अवतरण (कॉम्प्रिहेन्शन)	25 अंक
	रिपोर्ट लेखन	25 अंक
(ग) वि	विश्लेषणात्मक (मूलभूत गणित, सामान्य	25 अंक
7	जागरूकता, वस्तुनिष्ट प्रकार का)	

(ग) साक्षात्कार

25 अंक

टिप्पण:

- 1 : जिन उम्मीदवारों ने एनसीसी का "ग" प्रमाण पत्र तथा राज्य स्तरीय खेलकूद प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उन्हें अधिमानता दी जाएगी।
- 2 : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।

क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों के मामलों में भी लागू होंगी ?	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है	क्या भर्ती पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती

पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की जानी है।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना कैसी है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)	(14)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	गृह मंत्रालय के तारीख 1 सितंबर 1958 के का.ज्ञा.सं. 18/1/51-स्था.(बी) द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने से छूट प्राप्त है।

फा.सं. 20/1(2)/2008-सीसीएस/२२

के. अवाहम

(के. अब्राहम) निदेशक

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India Department of Atomic Energy

Notification

April 16 Mumbai, the 7, 2009

- G.S.R. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Security Officer (A) in the Department of Atomic Energy, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy Assistant Security Officer (A) Recruitment Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay. The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

- 4. Disqualifications. No person, -
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

,**...**/

Schedule

Name of the post	Number of Post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
(1)	\downarrow (2)	(3)	(4)	(5)
Assistant	163*	General	Pay Band – 2	Not applicable
Security	(2009)	Central	Rs.9,300-	**
Officer (A)		Service	34,800 +	
,	(* Subject to	Group 'C'	Grade Pay	
e.	variation	Non-Gazetted	Rs.4,200	
	depending	(Non-		
	upon	Ministerial)		
	workload.)			

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	
(6)	(7)	
Not applicable.	Upto 27 years as on crucial date. (Relaxable for Government Servants	
	upto 35 years in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government.	
	Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar islands and Lakshadweep).	
	Note 2: In case of appointment is made through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	
	Note 3: ex-servicemen and ex- Constables shall be eligible to apply only within three years of discharge or retirement from Armed Forces or Police	

Educational and other qualifications required for direct recruits.

(8)

a) Qualification:

Direct recruits:

Graduate from a recognised University

For Ex-Servicemen, Ex-Police and Ex-Central Para Military Personnel

Graduate from a recognised University or equivalent

Experience:

Not below Junior Commissioned Officer or equivalent or having five years experience as Non Commissioned Officer or equivalent

b) Minimum Height:

167 Cms.

c) Chest:

80-85 Cms. (Relaxable for Scheduled Tribes and Hillmen as per Government Orders

1. The Screened in candidates will have to qualify in the physical test under Constituted Board as follows:

(a) Physical events

(i) 1.6 Kms. run

- 6 minutes 30 seconds

(ii) Long jump

- 3.65 meters in 3 chances

.../

(iii)

	Age group	Nos.
Chin ups	Upto 30 years	08-09
cimi apo	30-40 years	05-06
Push Ups	40-45 Years	16-17
	Above 45 years	12-13
Sit Ups	Upto 30 years	25-29
	30-40-years	20-24
	40-45 years	15-19
	Above 45 years	10-14

(b) The candidates who qualify the physical test will be allowed to appear for a written test for 75 marks in the allotted time of 90 Minutes. Composition of the question paper will be as per the following pattern:

(A) Comprehension

25 Marks

(B) Report writing

25 Marks

(C) Analytical (Basic Maths, General Awareness, Objective type)

25 Marks

(c) Interview

25 Marks

Note:-

- 1. Candidates having NCC 'C' Certificate and State Level Sports Certificate will be preferred.
- 2. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India.

.../

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of vacancies to be filled in by various methods.
(9)	(10)	(11)
Not applicable	One year	Direct recruitment

. /

In case of recruitment by promotion or deputation or transfer, grades from which promotion or deputation or transfer to be made. (12)	If a departmental promotion committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
Not applicable	Not applicable	Department of Atomic Energy is exempted from consultation with the Union Public Service Commission vide Ministry of Home Affairs O.M. No. 18/1/51-Estt(B) dated the 1 st September 1958.

F.No.20/1(2)/2008-CCS/ 227

(K. Abraham) 1/4
Director

र्गजरदी सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003--05

HRA का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

ਜਂ. 22] No. 22] नई दिल्ली, मई 23--मई 29, 2010, शनि**वार/ज्ये**ष्ठ 2-ज्येष्ठ 8, 1932

NEW DELHI, MAY 23-MAY 29, 2010, SATURDAY/JYAISTHA 2-JYAISTHA 8, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार **के मंत्रालयों** (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई, 12 मई, 2010

सा.का.नि. 93.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग सहायक सुरक्षा अधिकारी (क) भर्ती नियम, 2009 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग सहायक सुरक्षा अधिकारी (कं)भर्ती (संशोधन) नियम, 2010 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परमाणु ऊर्जा विभाग, सहायक सुरक्षा अधिकारी (क) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में स्तंभ (7) के अधीन प्रविष्टियों **के स्था**न पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी अर्थात् :--

निर्णायक तारीख तक 27 वर्ष ।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय)।

- टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई ऑतिम तारीख होगी ।
- टिप्पण 2 : रोजगार केन्द्रों के माध्यम से नियुक्ति के मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वही होगी जिस तारीख तक रोजगार केन्द्रों से नाम मांगे गये हैं।

30 000

(411)

1851 GI/2010

टिप्पण 3 : भूतपूर्व सैनिक एवं भूतपूर्व कांस्टेबल, सशस्त्र बलों या पुलिस से कार्यमुक्त या सेवा निवृत्त होने के केवल तीन वर्षों के भीतर आवेदन करने के पात्र होंगे ।

[फा. सं. 20/1(2)/2008-सीसीएस/359]

के. अब्राहम, निदेशक

टिप्पण : भूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 16 अप्रैल, 2009 में सा.का.नि. सं. 56 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai, the 12th May, 2010

- G.S.R. 93.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Atomic Energy Assistant Security Officer (A) Recruitment Rules, 2009, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Department of Atomic Energy Assistant Security Officer (A) Recruitment (Amendment) Rules, 2010.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Department of Atomic Energy Assistant Security Officer (A) Recruitment Rules, 2009, for the entries under column (7), the following entries shall be substituted, namely:—

Upto 27 years as on crucial date.

(Relaxable for Government Servants upto 35 years, in accordance with the instructions/orders issued by the Central Government).

- Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India.
- Note 2: In case of appointment is made through Employment Exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.
- Note 3: Ex-servicemen and ex-Constables shall be eligible to apply only within three years of discharge or retirement from Armed Forces or Police.

[F. No. 20/1(2)/2008-CCS/359]

K. ABRAHAM, Director

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 56 dated the 16th April, 2009.